<u>न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण सं० 01, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारीः–	**डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल,** R.J.S. (U.I.D. No.RJ00720) (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
क्लेम याचिका संख्याः–	23/2022
सी.आई.एस. संख्याः–	23/2022
CNR No.	**RJSG090004172022**

01. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. जेठाराम, निवासी चक 6–पी, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
02. कुमारी कुमकुम पुत्री स्व. जेठाराम, उम्र 03 वर्ष 06 माह,
03. मनराज पुत्र स्व. जेठाराम , उम्र 02 वर्ष 03 माह
04. कुमारी उषा पुत्री स्व. जेठाराम, उम्र 15 दिवस

    नाबालिगान जरिये नैसर्गिक संरक्षक कुदरतीवली माता श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. जेठाराम, निवासी चक 6–पी, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
05. श्रीमती राधादेवी पत्नी केवलराम, निवासी चक 6–पी, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

––याचीगण

– ब ना म –

01. सुखदेवसिंह उर्फ सुखा पुत्र जोगन्द्रसिंह, निवासी 1 एम एल डी (ए), पुरानी मंडी घड़साना, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
02. कुकुराम पुत्र कुलवंतराय, निवासी वार्ड नंबर 04 बाल्मिकी मोहल्ला, गिदड़बाहा जिला मुक्तसर (पंजाब)
03. चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, प्लोट नंबर ई–52, द्वितीय प्लोर एआरजी बिल्डिंग सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

––अयाचीगण

<u>क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166, 140 मोटरयान दुर्घटना अधिनियम</u>

उपस्थितः–

1. श्री बलदेवसिंह भंगू, अधिवक्ता–याचीगण
2. श्री सुशील गोदारा, अधिवक्ता–अयाची संख्या 1
3. अयाची संख्या 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

4. श्री रायसाहब बाना, अधिवक्ता–अयाची संख्या 3

–:: निर्णय ::– दिनांक–29.07.2026

01. याचीगण श्रीमती लक्ष्मीदेवी आदि ने दिनांक 19.02.2022 को मोटरयान दुर्घटना में याचीगण के पति/पिता/पुत्र जेठाराम मौके पर मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न क्षतियों की पूर्ति हेतु यह क्लेम याचिका इस अधिकरण के समक्ष दिनांक 31.05.2022 को पेश किये जाने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई।

02. याचीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

दिनांक 20.02.2022 को परिवादी केवलराम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपगढ में श्री पृथ्वीसिंह सउनि, पुलिस थाना अनूपगढ के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके पुत्र जेठाराम को 8 वर्ष की आयु में ही हरीराम मेघवाल के गोद में दे दिया था, जेठाराम अनूपगढ मंडी में नाई का काम करता है। दिनांक 19.02.2022 को जेठाराम मोटरसाईकिल नं0 आर जे 13 सीएस 7285 पर सवार होकर अपने घर चक 6 पी आ रहा था, जब वह करीब 8.30 पीएम पर चक 5–के रोही पीरजी की दरगाह के पास पहुंचा तो सामने से अज्ञात वाहन चालक ने अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर जेठाराम की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी जिससे जेठाराम के सिर में चोट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं मोटरसाईकिल टूट गया। मौके पर लक्ष्मणराम पुत्र हेतराम व आस पड़ोस के लोग आ गये। अज्ञात वाहन अपने वाहन को भगाकर ले गया। लक्ष्मणराम ने उसे फोन पर सूचना दी, तब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि जेठाराम की दाहिनी आंख के उपर चोट लगकर मांस का चिथड़ा बाहर निकला हुआ था व दाहिने हाथ की कलाई व दाहिने मोडे पर चोट लगी हुई थी। जेठाराम की लाश सरकारी होस्पीटल अनूपगढ के मुर्दाघर में रखवाई गई है आदि आदि.....। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना अनूपगढ में प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 104/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 279,304–ए भा०दं०सं० में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा के विरूद्ध धारा 279, 304–ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अनूपगढ में आरोप पत्र पेश किया।

03. याचीगण श्रीमती लक्ष्मीदेवी आदि ने हस्तगत याचिका में दुर्घटना के समय

अपने पति/पिता/पुत्र मृतक जेठाराम की आयु 31 वर्ष होना, मृतक का हैयर कटिंग (बारबर) का कार्य करके 40,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करना बताते हुए भिन्न भिन्न क्षतियों के रूप में याचिका में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की मांग की। याचीगण ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप नंबर पीबी 04 एडी 2985 का चालक अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा, वाहन का मालिक अयाची संख्या 2 कुकुराम होना एवं उक्त वाहन अयाची संख्या 3 चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से बीमित होना, दुर्घटना बीमित अवधि के भीतर होना बताते हुए अयाचीगण से उक्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

04. अयाची संख्या 01 की ओर से जवाब याचिका पेश किया गया जिसमें दुर्घटनाग्रस्त वाहन का स्वामी अयाची संख्या 2 होना स्वीकार करते हुए अभिकथन किया गया कि अयाची संख्या 1 द्वारा उक्त पिकअप से किसी प्रकार की दुर्घटना कारित नहीं की गई है । याचीगण द्वारा क्लेम प्राप्त करने के आशय ने अयाची के खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। याचीगण ने अधिक क्लेम प्राप्त करने के लिये बढाचढा कर राशि दर्ज की है।

अतिरिक्त कथन में अंकित गया कि दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक जेठाराम की स्वयं की लापरवाही के कारण कारित हुई है। याचीगण द्वारा क्लेम याचिका में मोटरसाईकिल नंबर आर जे 13 सीएस 7285 की बीमा कम्पनी, मालिक को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव में याचीगण की याचिका पोषणीय नहीं है। दिनांक 19.02.2022 को अयाची के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था तथा उक्त पिकअप वरवक्त दुर्घटना अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी से बीमित थी, ऐसी स्थिति में केवल अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी ही राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी है। अंत में याचीगण की याचिका मय हर्जाखर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

05. अयाची संख्या 03 चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से जवाब याचिका पेश कर पिकअप नं0 पीबी 04 एडी 2985 अयाची बीमा कम्पनी से दिनांक 23.10.2021 से 22.10.2022 तक बीमित होना स्वीकार करते हुए अभिकथन किया गया कि याचीगण ने मृतक की आय एवं आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य

पेश नहीं की है। याचीगण ने बढाचढा कर क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है। नक्शा मौका व हालात मौका के अनुसार मोटरसाईकिल नंबर आर जे 13 सीएस 7285 के चालक द्वारा लापरवाही व उपेक्षा से बिना लाईसेंस के गलत दिशा में चलाकर दुर्घटना कारित की गई है। अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पिकअप चालक सुखदेवसिंह उर्फ सुखा की उपेक्षा व लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई, पिकअप चालक को दुर्घटना में मिथ्या लिप्त किया गया है। पिकअप चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। याचीगण द्वारा जानबूझकर मोटरसाईकिल नंबर आर जे 13 सीएस 7285 के मालिक व बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण याचीगण की याचिका अयाची बीमा कम्पनी की हद तक खारिज किये जाने योग्य है। अंत में याचीगण की क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

06. अयाची संख्या 02 के बावजूद नोटिस तामील स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी अधिवक्ता के अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं आने से अयाची संख्या 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

07. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्न विवाद्यकों की विरचना की गई–

01. आया दिनांक 19.02.2022 को वक्त करीब 08.30 पीएम पर सड़क आम अनूपगढ से घड़साना पर चक 5–के में पीर जी की दरगाह के पास अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा ने पिकअप नं० पी बी 04 एडी 2985 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल नं० आर जे 13 सीएस 7285 के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित जिससे मोटरसाईकिल चालक जेठाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई ?

––याचीगण

02. आया याचीगण याचिका में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हाँ तो किस किससे व कितनी ?

––याचीगण

03. आया अयाची संख्या 03 बीमा कम्पनी जवाब में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है ?

––अयाची सं.3

04. अनुतोष ?

08. याचीगण की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती लक्ष्मीदेवी व ए.डब्ल्यू. 02 केवलराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित फर्द अहकाम ग्राम न्यायालय सरकार बनाम सुखा प्रदर्श 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 2, आरोप पत्र प्रदर्श 3, प्रार्थना पत्र प्रदर्श 4, नक्शा मौका प्रदर्श 5, हालात मौका प्रदर्श 5 ए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 6, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 7, फर्द जब्ती पिकअप प्रदर्श 8, मैकेनिकल मुआयना पिकअप प्रदर्श 9, नोटिस 133 एमवीएक्ट प्रदर्श 10, आर सी पिकअप प्रदर्श 11, बीमा कवरनोट प्रदर्श 12, डी एल प्रदर्श 13, फिटनेस प्रमाण पत्र पिकअप प्रदर्श 14, परमिट पिकअप प्रदर्श 15, प्रदूषण प्रमाण पत्र पिकअप प्रदर्श 16, आधार कार्ड सुखदेवसिंह प्रदर्श 17, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श 18, जमानतनामा प्रदर्श 19, बयान 161 सीआरपीसी क्रमशः केवलराम, लक्ष्मण, फकीर, राम सुखलाल, हरजीतसिंह प्रदर्श 20 ता 24, मैकेनिकल मुआयना मोटरसाईकिल प्रदर्श 25, फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल प्रदर्श 26 व आय विवरणिका वर्ष 2020–21 जेठाराम प्रदर्श 27 पेश कर प्रमाणित करवाये गये।

09. अयाचीगण की ओर से अपने जवाब याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह एन.ए.डब्ल्यू. 01 तंवरसिंह शेखावत एवं एन.ए.डब्ल्यू. 02 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन ए 3/1 लगायत एन ए 3/3 व प्रदर्श एन ए 4–ए दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये ।

10. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस याचीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए याचिका में याचित उक्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत दौराने बहस अयाचीगण के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से जवाब याचिका एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए याचीगण की याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक निर्णय K. NAGENDRA *VS* THE New India Insurance Co. Ltd. & ORS. 2025 INSC 1270 पेश किया ।

11. उभय पक्ष के तर्कों के क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत

न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया । पत्रावली पर विद्यमान समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् विरचित विवाद्यकों पर इस अधिकरण का विवाद्यकवार निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01–</u>

> **01.** आया दिनांक 19.02.2022 को वक्त करीब 08.30 पीएम पर सड़क आम अनूपगढ से घड़साना पर चक 5–के में पीर जी की दरगाह के पास अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा ने पिकअप नं० पी बी 04 एडी 2985 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल नं० आर जे 13 सीएस 7285 के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित जिससे मोटरसाईकिल चालक जेठाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ?

––याचीगण

12. इस विवाद्यक को साबित करने का भार याचीगण पर है। इस सम्बन्ध में ए.डब्ल्यू. 01 श्रीमती लक्ष्मीदेवी अपने सशपथ बयानों में याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन करती है कि उसका पति जेठाराम अनूपगढ मंडी में नाई का काम करता था जो रोज अपने घर से अनूपगढ आना जाना करता था। दिनांक 19.02.2022 को उसका पति जेठाराम मोटरसाईकिल नं0 आर जे 13 सीएस 7285 पर सवार होकर अपने घर चक 6 पी से अनूपगढ आ रहा था, जब वह करीब 8.30 पीएम पर चक 5–के रोही पीरजी की दरगाह के पास पहुंचा तो सामने से अज्ञात पिकअप के चालक ने अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर उसके पति जेठाराम की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी जिससे जेठाराम के सिर, दाहिनी आंख, दाहिनी कलाई व दाहिने गोडे पर गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं मोटरसाईकिल पूरी तरह से टूटकर नष्ट हो गया। इस दुर्घटना का मुकदमा उसके ससुर केवलराम द्वारा जरिये लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस थाना अनूपगढ में दर्ज करवाया गया जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान पिकअप के चालक अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा को उक्त दुर्घटना कारित करना प्रमाणित मानते हुए ग्राम न्यायालय अनूपगढ में आरोप पत्र पेश किया गया । उक्त साक्षी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 27 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह मोटरसाईकिल पर साथ नहीं थी, उसे दुर्घटना का आधा घंटा बाद पता चला था। उसे पिकअप गाड़ी के ड्राईवर का नाम पता भी पड़ोसियों ने बताया था। उसे उसके ससुर ने बताया कि जेठाराम की दुर्घटना हो गई है।

13. याचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी ए डब्ल्यू 2 केवलराम अपने सशपथ बयानों में याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन करता है कि उसका पुत्र जेठाराम अनूपगढ मंडी में नाई का काम करता था जो रोज अपने घर से अनूपगढ आना जाना करता था। दिनांक 19.02.2022 को जेठाराम मोटरसाईकिल नं0 आर जे 13 सीएस 7285 पर सवार होकर अपने घर चक 6 पी से अनूपगढ आ रहा था, जब वह करीब 8.30 पीएम पर चक 5–के रोही पीरजी की दरगाह के पास पहुंचा तो सामने से अज्ञात पिकअप के चालक अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा ने अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर उसके जेठाराम की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी जिससे जेठाराम के सिर, दाहिनी आंख, दाहिनी कलाई व दाहिने गोडे पर गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं मोटरसाईकिल पूरी तरह से टूटकर नष्ट हो गया। इस दुर्घटना का मुकदमा उसके द्वारा पुलिस थाना अनूपगढ में दर्ज करवाया गया जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान पिकअप चालक अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह के खिलाफ अनूपगढ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि वह दुर्घटना के समय मौका पर नहीं था, वह दुर्घटना के आधा घंटा बाद आया था। उसे दुर्घटना के आधा घंटा बाद ही दुर्घटना करने वाले साधन का पता चल गया था। वह यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श 4 प्रार्थना पत्र जो थानाधिकारी अनूपगढ को दुर्घटना के अगले दिन दिया, उसमें अज्ञात वाहन क्यों लिखाया।

14. इसके विपरीत अयाचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 1 तंवरसिंह शेखावत अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि पिकअप मालिक के पास वरवक्त दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में मालवाहक पिकअप को चलाने का वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था जो बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि वह व्यक्तिगत रूप से दुर्घटना वाले क्षेत्र में नहीं गया था।

15. अयाचीगण की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 2 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि दिनांक 19.02.2022 के वक्त 8.30 पीएम पर अनूपगढ से घड़साना सड़क पर चक 5 के पीरजी की दरगाह के पास उसके द्वारा पिकअप नंबर पीबी 04 एडी 2985 को तेजी व लापरवाही व गफलत से चलाकर कथित दुर्घटना कारित नहीं की। उक्त दुर्घटना मोटरसाईकिल चालक जेठाराम की

स्वयं की लापरवाही के कारण कारित हुई है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 19.02.22 को रात के करीब 8.30 बजे उसके पास पिकअप वाहन पीबी 04 एडी 2985 मौजूद थी जिसको वह ही चलाता था। यह सही है कि उसके विरूद्ध दुर्घटना का मुकदमा दर्ज हुआ था जो न्यायालय में विचाराधीन है। उसने उक्त पुलिस की कार्यवाही के दौरान कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई । उसके विरूद्ध दुर्घटना के मामले में चालान पेश हो चुका है।

16. जहां तक उक्त दुर्घटना में वाहन पिकअप नं0 पीबी 04 एडी 2985 की संलिप्तता का प्रश्न है, याचीया श्रीमती लक्ष्मीदेवी अपनी साक्ष्य में दिनांक 19.02.2022 को वक्त करीब 8.30 पीएम पर सड़क आम चक 5 के रोही पीरजी की दरगाह के पास अज्ञात पिकअप चालक द्वारा पिकअप को तेजी एव लापरवाही से चलाकर अपने पति जेठाराम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारना एवं उक्त दुर्घटना में जेठाराम की मौके पर ही मृत्यु होने का कथन करती है । उक्त दुर्घटना बाबत केवलराम द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 02 में अज्ञात वाहन चालक द्वारा दुर्घटना कारित करना अंकित किया गया है तथा उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन पिकअप नंबर पीबी 04 एडी 2985 को दिनांक 22.02.2022 को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श 8 जब्त किया गया है। इन तथ्यों का खंडन अयाचीगण की ओर से नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत वाहन की संलिप्तता दुर्घटना में होना प्रमाणित है।

17. जहां तक प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा वक्त दुर्घटना वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाने का प्रश्न है, याचीया ए डब्ल्यू 1 श्रीमती लक्ष्मीदेवी अपनी साक्ष्य में अज्ञात पिकअप चालक द्वारा पिकअप को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर जेठाराम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने का कथन करती है। इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श 5 व हालात मौका प्रदर्श 5–ए महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है। नक्शा मौका प्रदर्श 5 के अनुसार दुर्घटना अनूपगढ से घड़साना सड़क पर चक 5–के रोही में पीर दरगाह के पास घटित हुई, जो नक्शा मौका प्रदर्श 5 में **एक्स** स्थान पर चिह्नित किया गया है। मोटरसाईकिल का घड़साना से अनूपगढ की ओर आना तथा पिकअप का अनूपगढ से घड़साना की ओर आना बताया गया है। नक्शा मौका प्रदर्श 5 व हालात मौका प्रदर्श 5–ए

के अवलोकन से स्पष्ट है कि मोटरसाईकिल का चालक अपनी ही दिशा में अपना मोटरसाईकिल चला रहा था, पिकअप के चालक द्वारा पिकअप को विपरीत दिशा में ले जाकर मोटरसाईकिल के टक्कर मारी गई है। वाहन चालक से सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपेक्षा होती है। यदि पिकअप के चालक द्वारा सावधानीपूर्वक पिकअप चलाई गई होती तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। फर्द जब्ती दुर्घटनाग्रस्त पिकअप प्रदर्श 8 व मैकेनिकल मुआयना पिकअप प्रदर्श 9 के अनुसार पिकअप नंबर पीबी 04 एडी 2985 के आगे का बोर्नट ड्राईवर साईड से क्षतिग्रस्त होकर मुचा हुआ है, इसी साईड का आगे की हैड लाईट का शीशा टूटा हुआ है, ड्राईवर साईड का साईड का गलाश ताजा टूटा हुआ है। गाड़ी के आगे ड्राईवर साईड के आगे के टायर का मटगार्ड कवर टूटने से नया मटकार्ड कवर प्लास्टिक का लगाया हुआ है। नोटिस 133 एम वी एक्ट प्रदर्श 10 के अनुसार दिनांक 19.02.22 को एक्सीडेंट के समय पिकअप नं0 पीबी 04 एडी 2985 पर ड्राईवर सुखदेवसिंह उर्फ सुखा पुत्र जोगिन्द्रसिंह था । प्रदर्श 3 के अनुसार आरोपी सुखदेवसिंह उर्फ सुखा के खिलाफ धारा 279, 304ए भा.द.सं. व धारा 134/187 एमवी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अधिकरण के विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अयाची संख्या 1 सुखदेवसिंह उर्फ सुखा द्वारा पिकअप नं0 पीबी 04 एडी 2985 को तेजी व लापरवाही से चलाकर अपनी सही दिशा में चल रहे मृतक जेठाराम के मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना साबित है।

18. जहां तक दुर्घटना में याचीगण के पति/पिता/पुत्र जेठाराम की उक्त दुर्घटना में मौके पर ही मृत्यु होने का प्रश्न है, याचीया ए डब्ल्यू 1 श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 19.02.2022 को दुर्घटना में याचीगण के पति/पिता/पुत्र जेठाराम के गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु होने के कथन किये हैं। साक्षी श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने अपनी साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक जेठाराम प्रदर्श 6, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 7 को प्रमाणित करवाये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 6 से जेठाराम की मृत्यु होना साबित है। मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप जेठाराम की मृत्यु होने के तथ्य को अयाचीगण की ओर से विवादित नहीं किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप याचीगण के पति/पिता/पुत्र जेठाराम की मृत्यु होना साबित है।

---

19. याची पक्ष को केवल अधिसंभावनाओं की प्रबलता की हद तक ही अपनी साक्ष्य के जरिये प्रकरण को प्रमाणित करना होता है जो याची पक्ष प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 01 याचीगण के पक्ष में एवं अयाचीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 02 व 03–</u>

> **02.** आया याचीगण याचिका में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हां तो किस किसे व कितना ? **––याचीगण**
>
> **03.** आया अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी जवाब में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है ? **––अयाची सं0 3**

20. उक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने से साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृति से बचने के लिये उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार याचीगण पर एवं विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी पर है। इस संबंध में याचीगण ने अपनी याचिका में एवं याचिया ए डब्ल्यू 1 श्रीमती लक्ष्मीदेवी ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किये हैं कि वरवक्त दुर्घटना मृतक जेठाराम की आयु 31 वर्ष थी जो अनूपगढ में स्वयं के रॉक हेयर कट एवं जेन्टस पार्लर प्रतिष्ठान में हेयर कटिंग के अलावा दुल्हा दुल्हनों का श्रृंगार करके 40,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करता था जिसमें उत्तरोतर वृद्धि होने की संभावना थी। मृतक की असमय मृत्यु नहीं होती तो मृतक आगामी 34 वर्षो तक आय अर्जित करता । मृतक अपनी आय का अधिकांश हिस्सा याचीगण पर ही खर्च करता था एवं याचीगण मृतक पर ही आश्रित थे। याचीगण ने मृतक जेठाराम की असमय मृत्यु होने से आय का नुकसान, याचीगण को मानसिक पीड़ा, याची संख्या 1 अपने पति के प्यार व सहचार्य से तथा याची संख्या 2 ता 4 अपने पिता के स्नेह, सानिध्य से तथा याची संख्या 5 अपने पुत्र के प्रेम व बूढापे के सहारे से वंचित होने, अंतिम संस्कार खर्च, परिवहन व्यय एवं सम्पति नुकसान के रूप में दस लाख रूपये सहित उक्त राशि अयाचीगण से दिलाई जाने की प्रार्थना की है। याचीगण को दिलाई जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

मृतक की आयु व गुणांक–

21. जहां तक वर वक्त दुर्घटना मृतक जेठाराम की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में याचिका में मृतक की उम्र 31 वर्ष अंकित है। याचीगण की ओर से मृतक की आय के संबंध में प्रस्तुत आयकर विवरणिका में मृतक जेठाराम की जन्मतिथि 14.12.1990 अंकित है। दुर्घटना दिनांक 19.02.2022 की है। अतः वरवक्त घटना मृतक जेठाराम की उम्र 31 वर्ष निर्धारित की जाती है जो 31 से 35 आयु वर्ग में आती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय (2009) AIR (SC) 3104 SMT. SARLA VERMA AND OTHERS Vs DELHI TRANSPORT CORPORATION AND ANOTHER में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा– निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 16 का गुणांक उपयोग में लाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय–

22. इस विवाद्यक को प्रमाणित करने के लिए मृतक की आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में याचीया श्रीमती लक्ष्मीदेवी ए.डब्ल्यू. 1 ने कथन किया है कि मृतक हेयर कटिंग के साथ साथ दूल्हा दुल्हनों का श्रृंगार का काम करता था जिससे उसे 40,000/–रूपये मासिक आय अर्जित होती थी। मृतक की आय के संबंध में याचीगण की ओर से मृतक द्वारा भरी गई वित्तीय वर्ष 2019–2020 की आयकर विवरणिका प्रदर्श 27 पेश कर प्रदर्शित करवाई गई जिसमें मृतक की वार्षिक आय 4,01,290/–रूपये दर्शायी गई है परन्तु याचीगण की ओर से इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष अथवा इसके पश्चात के वित्तीय वर्ष 2020–2021 की आयकर विवरणिका को पेश कर प्रमाणित नहीं करवाया गया है। मृतक द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणिका क्यों नहीं भरी गई, इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण याचीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही यह भी सर्वविदित है कि मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत वर्ष में लॉक डाउन लग गया था जिससे सभी व्यक्तियों की आय नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह साबित नहीं माना जा सकता कि वरवक्त दुर्घटना मृतक जेठाराम 40,000/–रूपये मासिक अथवा करीब चार लाख रूपये वार्षिक आय अर्जित करता हो परन्तु प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं

मृतक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए मृतक को वरवक्त दुर्घटना उच्चकुशल श्रमिक मानते हुए राजस्थान राज्य में माह फरवरी, 2022 को उच्चकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी दर **8,658/–**रूपये प्रति माह होने के कारण मृतक जेठाराम की वार्षिक आय **1,03,896/–**रूपये निर्धारित की जाती है।

भविष्य वृद्धि–

23. न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक के 40 वर्ष तक की आयु के स्वनियोजित व्यक्ति होने के कारण 40 प्रतिशत भावी आय वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त 40 प्रतिशत की वृद्धि भावी आय में करने पर 1,03,896+ 41,558= 1,45,454/–रूपये मृतक को वार्षिक आय प्राप्त होती है।

आय में कटौती–

24. मृतक जेठाराम विवाहित था एवं याचीगण मृतक पर आश्रित थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009 ACR (SC) 3104 Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another में प्रतिपादित सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों की अनुपालना में मृतक के विवाहित होने एवं मृतक पर आश्रितों की संख्या 4 से 6 तक होने के कारण मृतक की आय में से 1/4 राशि मृतक द्वारा स्वयं के रहन–सहन पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कटौती की जावेंगी । इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय 1,45,454/– रूपये में से 1/4 राशि कटौती किये जाने पर शेष राशि 1,45,454–36,364= 1,09,090/–रूपये वार्षिक आय होती है। इस प्रकार आय की क्षति के रूप में राशि की गणना हेतु शेष राशि {वार्षिक आय × गुणांक 16}= 1,09,090×16= 17,45,440/–रूपये निर्धारित की जाती है, जिस राशि का नुकसान याचीगण को मृतक की इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से उठाना पड़ेगा ।

स्नेह वात्सल्य (Consortium), दाह संस्कार एवं सम्पदा हानि–

25. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2017) AIR(SC) 5157 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs. PRANAY SETHI, New India Assurance Company Ltd. Vs. Somwati and Others, 2021(1) R.A.R. 24(SC) एवं United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors. Dated 30 June, 2020 मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार इस मद में Parental Consortium, Spousal Consortium, Filial Consortium दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. 2017 AIR (SC) 5157 में ये दिशा–निर्देश दिये गये है "Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs.15,000/–, Rs. 40,000/–, Rs. 15,000/– respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years" । अतः वर्तमान प्रकरण में उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार उपरोक्त मदों में क्षतिपूर्ति हेतु याची संख्या 1 मृतक की पत्नी, याची संख्या 2 ता 4 मृतक के पुत्र/पुत्री एवं याची संख्या 5 मृतक की माता, प्रत्येक को Consortium 44,000/– रूपये दिलाये जाने योग्य पाया जाकर कुल राशि 2,20,000/– दिलाये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

26. याचीगण को Loss of Estate and Funeral Expenses के मद में क्रमशः 16,500/– रूपये एवं 16,500/–रूपये की राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

27. मृतक के शव को लाने–ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में याचीगण को 5,000/–रूपये दिलाये जाना उचित है।

28. उपरोक्त विवेचनानुसार याचीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार आंकलित की जाती है –

1.	आय की हानि के लिये (1,09,090×16)	–	17,45,440/–रूपये
2.	Loss of Consortium	–	2,20,000/–रूपये
3.	Funeral Expenses	–	16,500/–रूपये
4.	Loss of Estate	–	16,500/–रूपये
5.	परिवहन व्यय बाबत	–	5,000/–रूपये
	कुल देय क्षतिपूर्ति राशि	–	**20,03,440**/–रूपये

29. अब यह देखा जाना है कि क्या अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी अपने जवाब याचिका में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रतिकर राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है तथा याचीगण उक्त प्रतिकर राशि किस –किस अयाची से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन में यह निर्धारित किया गया है कि दिनांक 19.02.2022 को वक्त करीब 8.30 बजे अनूपगढ–घड़साना सड़क पर चक 5–के पीर दरगाह के पास पिकअप नंबर पीबी 04 एडी 2985 के चालक द्वारा मृतक जेठाराम के मोटरसाईकिल के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई एवं उक्त दुर्घटना में याचीगण के पति/पिता/पुत्र जेठाराम की मौके पर ही मृत्यु कारित हुई। याचीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज आर. सी. प्रदर्श 11 से पिकअप मालिक अयाची संख्या 2 कुकुराम होना, ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श 13 से पिकअप चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस होना तथा दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श 12 बीमा कवरनोट से उक्त पिकअप दिनांक 23.10.2021 से 22.10.2022 तक अयाची संख्या 3 से बीमित होना साबित है। अयाची संख्या एक सुखदेव सिंह उर्फ सुखा द्वारा अयाची संख्या दो कुक्कुराम के नियोजनार्थ एवं लाभार्थ वाहन चलाना प्रमाणित है। याचीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वरवक्त दुर्घटना उपरोक्त वाहन का उपयोग होकर दुर्घटनाग्रस्त होना भी साबित होता है।

अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से परीक्षित साक्षी एन ए डब्ल्यू 1 तंवरसिंह शेखावत ने अपने सशपथ बयानों में कथन किये हैं कि पिकअप मालिक के पास दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में मालवाहक पिकअप को चलाने का वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था। याचीगण की ओर से दुर्घटनाग्रस्त पिकअप का परमिट प्रदर्श 15 पेश कर

प्रमाणित करवाया गया है जिसमें Class of Vehicle– Goods Carrier अंकित है और उक्त परमिट केवल पंजाब राज्य के लिये वैध है। स्वीकृत रूप से दुर्घटना में सम्मिलित वाहन पिकअप नंबर PB–04AD–2985 के संबंध में परमिट केवल पंजाब राज्य के लिये जारी किया गया था जबकि दुर्घटना राजस्थान राज्य के अनूपगढ क्षेत्र में घटित हुई है, इससे यह स्पष्ट होता है कि वाहन चालक द्वारा अनुमत राज्य से भिन्न राज्य में वाहन का उपयोग कर निर्धारित/अनुमत मार्ग से विचलन किया गया था। इस संबंध में अयाची संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत से इस अधिकरण को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उक्त प्रकरण में दुर्घटनाग्रस्त बस को जारीशुदा परमिट के अनुसार चन्नपटना शहर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था फिर भी बस चालक द्वारा उक्त शहर में प्रवेश किया गया अर्थात बस चालक द्वारा अपनाया गया मार्ग जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत अनुमत नहीं था। अतः प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बीमा कम्पनी को यह आदेश दिया गया कि वह प्रतिकर की राशि का भुगतान याचीगण को करें और उस राशि की वसूली बस मालिक से करें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त मत की पुष्टि की गई।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से हस्तगत प्रकरण में भी यह प्रमाणित होता है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन के पास राजस्थान राज्य में संचालन हेतु वैध परमिट नहीं था, इससे मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है परंतु बीमा की मूलभूत शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। मृतक तृतीय पक्षकार की श्रेणी में आता है और दुर्घटना के समय वाहन अयाची संख्या 3 से बीमित होना साबित है इसलिए उक्त उल्लंघन के आधार पर बीमा कम्पनी को पूर्णतया उन्मोचित कर तृतीय पक्षकार के विधिक अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अतः तृतीय पक्षकार के हितों की रक्षा तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'Pay and Recovery' के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी को निर्देशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वह इस अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान याचीगण को करे और राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात भुगतान की गई समस्त राशि वाहन मालिक व चालक से संयुक्ततः एवं पृथकतः विधिनुसार वसूल करे। फलस्वरूप उक्त दोनों विवाद्यक उक्तानुसार निर्णित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 04–

अनुतोष–

30. यह विवाद्यक अनुतोष से सम्बन्धित है। उपरोक्त विवाद्यकों के विवेचनानुसार याचीगण **श्रीमती लक्ष्मीदेवी आदि** कुल **20,03,440**/–रूपये, अयाची संख्या 1 लगायत 3 से संयुक्ततः व पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 31.05.2022 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी इस अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान याचीगण को करे और बीमा कम्पनी राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात भुगतान की गई समस्त राशि वाहन मालिक व चालक से संयुक्ततः एवं पृथकतः विधिनुसार वसूल करने की अधिकारी होगी। याचीगण की उक्त क्लेम याचिका उपरोक्तानुसार प्रतिकर हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश/पंचाट ::–

31. अतः याचीगण श्रीमती लक्ष्मीदेवी आदि की ओर से प्रस्तुत यह क्लेम याचिका विरूद्ध अयाचीगण सुखदेवसिंह उर्फ सुख्या आदि निम्न प्रकार से **स्वीकार** की जाती हैः– याचीगण **श्रीमती लक्ष्मीदेवी आदि** कुल प्रतिकर राशि **20,03,440**/–रूपये (बीस लाख तीन हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) अयाची संख्या 1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर याचीगण, याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 31.05.2022 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान याचीगण को करें और राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात अयाची संख्या 3 बीमा कम्पनी भुगतान की गई समस्त राशि वाहन मालिक व चालक से संयुक्ततः एवं पृथकतः विधिनुसार वसूल करने की अधिकारी होगी। साथ ही इस बाबत अंतिम पंचाट जारी किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम याची/ अयाची	बचत खाता में	सावधि खाता में	सावधि जमा की अवधि
1.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी	5,03,440/–रूपये मय देय सम्पूर्ण ब्याज राशि	3,00,000/–रू.	दो वर्ष
2.	कुमारी कुमकुम	––	3,00,000/– रू.	वयस्क होने तक
3.	मनराज	––	3,00,000/– रू.	वयस्क होने तक
4.	कुमारी उषा	––	3,00,000/– रू.	वयस्क होने तक
5.	श्रीमती राधादेवी	3,00,000/–रूपये	–	–

32. यदि याचीगण के द्वारा दोषरहित दायित्व के तहत पूर्व में कोई राशि प्राप्त की गई है, तो उस राशि का प्रतिकर की राशि में समायोजन किया जाकर शेष राशि याचीगण को दी जावे। याचीगण की ओर से याचित शेष अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

33. अयाचीगण उक्त प्रतिकर राशि संयुक्ततः एवं पृथकतः एक माह के भीतर मय ब्याज अदा करेंगे। भुगतान अधिकरण के बैंक खाता में आरटीजीएस/नैफ्ट किया जाए और आरटीजीएस/नैफ्ट की सूचना अयाचीगण द्वारा अधिकरण को उपलब्ध करवाई जावे।

34. याचीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपने पैन कार्ड की फोटोप्रति आयाची बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराए। उपरोक्त प्रतिकर राशि प्राप्त होने पर याचीगण किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से उक्तानुसार नकद/सावधि प्राप्त करेगा। प्रकरण का व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सं. 1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

35. निर्णय एवं पंचाट आज दिनांक 29.07.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सं. 1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.30 10:16:20 IST